न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी—देवेन्द्र कुमार
आई0ए0एस0

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

रैफरेन्स प्रा0पत्र सं0 189/2015

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) महवा

.....प्रार्थी

बनाम

1. पुरूषोत्तम दयाल पुत्र नन्द किशोर
2. हेमलता पुत्री नन्द किशोर
3. ललिता पुत्री नन्द किशोर
   समस्त जाति ब्राहमण निवासी मण्डावर तहसील मंडावर जिला दौसा
4. प्रभूदयाल पुत्र गिरवर जाति ब्राह्मण निवासी मंडावर हाल निवासी निर्माण नगर, डी—94, जयपुर राज0

....अप्रार्थीगण

रैफरेन्स अंतर्गत धारा 82 भू—राजस्व अधिनियम 1956
सपठित धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित—1. श्री राजेश कुमार शर्मा, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांकः 27.2.2025

1. संक्षिप्त विवरण प्रार्थना पत्र रैफरेन्स इस प्रकार है कि तहसीलदार महवा ने ग्राम मण्डावर के साबिक खसरा नंबर 1045 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा भूमि को देवस्थान मंदिर की कृषि भूमि का रिकार्ड दुरूस्त करवाने बाबत रैफरेन्स हेतु निवेदन किया है।
2. प्रार्थना पत्र रैफरेन्स दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण की तलबी की गई। अप्रार्थी सं0 01 के अधिवक्ता बहस हेतु उपस्थित नहीं हुए। अप्रार्थी सं0 2 से 4 बाद तामील उपस्थित नहीं होने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। राजकीय अधिवक्ता की एकतरफा बहस सुनी गई।
3. राजकीय अधिवक्ता ने तहसीलदार महवा द्वारा प्रेषित रैफरेन्स के बिन्दुओं को दोहराते हुए निवेदन किया कि :—
   - जमाबंदी संवत (खैतौनी बंदोबस्त) ग्राम मण्डावर संवत 2000 में खसरा नंबर 1045 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा माफी गिरवर वल्द भैरो कौम ब्राह्मण सा.देह दर्ज है।
   - संवत 2012 के अनुसार खसरा नंबर 1045 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा भूमि माफी मंदिर सर्प श्री वाके देह हाजा प्रबंधक पुजारी गिरवर वल्द भोंरीलाल कौम ब्राह्मण के नाम दर्ज है।
   - मिलान क्षेत्रफल एकीकरण के साबिक खसरा नंबर 1045 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा के नये नंबर 60 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा
   - मिलान क्षेत्रफल भू प्रबंध विभाग के साबिक खसरा नंबर 60 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा के हाल खसरा नंबर 358 रकबा 0.46है. दर्ज है।
   - जमाबंदी भू प्रबंध विभाग ग्राम मण्डावर सं 2050—2059 में खसरा नंबर 358 रकबा 0.46है. प्रभूदयाल, नंदकिशोर पि. गिरवर कौम ब्राह्मण सा.देह खातेदार दर्ज है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 10:37:58 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, दौसा

- जमाबंदी संवत 2068–71 ग्राम मण्डावर खसरा नंबर 358 रकबा 0.46 है. "देवताओं से संबंधित जोत" प्रभूदयाल, नन्दकिशोर पि.गिरवर कौम ब्राह्मण के नाम दर्ज है।
- पटवारी हल्का द्वारा नामान्तरण सं0 824 दिनांक 8.11.2012 को खसरा नंबर 358 रकबा 0.46है. में नन्दकिशोर की विरासत का नामान्तरण पुरूषोत्तम दयाल पुत्र नन्दकिशोर, हेमलता ललिता पुत्री नन्दकिशोर कौम ब्राह्मण के नाम दर्ज कर दिनांक 20.12.2012 को ग्राम पंचायत द्वारा नामान्तरण स्वीकार किया गया है।

4. इस प्रकार उक्त वर्णित भूमि के खातेदारी अधिकार भूमि में निहित है। राज्य सरकार के परिपत्र 31606 रेवेन्यू जी/आर/497 जयपुर दिनांक 30.3.1977 के मद नं0 3 में हुआ हस्तान्तरण अवैध है और ऐसे हस्तान्तरण करने का कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है। अवैध हस्तान्तरण होने के कारण राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 के तहत मद सं0 5 में खाता संख्या 17 की प्रविष्टि निरस्त किये जाने योग्य है।
5. अतः रैफरेन्स प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 82 भू राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थीगण के नाम खाता सं0 17 की प्रविष्ठि निरस्त कर उक्त वर्णित आराजी की खातेदारी का इन्द्राज माफी मंदिर सर्प श्री वाके देह हाजा के नाम यथावत दर्ज फरमाई जावे।
6. हमने राजकीय अधिवक्ता की एकतरफा बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।
7. प्रस्तुत प्रकरण में राजस्थान सरकार का परिपत्र क्रमांकः राज–6/2007/14 दिनांक 24.5. 2007 अवलोकनीय है जिसमें निम्नलिखित अंकित है:–

"राजस्थान सरकार द्वारा परिपत्र दिनांक 13.12.1991 की निरन्तरता में स्पष्ट किया जाता है कि मंदिर मूर्ति शाश्वत अव्यस्क है। अतः इसकी खातेदारी भूमि पर किसी भी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार नहीं मिल सकते है।"

"जागीरों के अधिग्रहण के समय जो भूमि मंदिर के नाम से जरिये पुजारी खुदकाश्त के रूप में दर्ज थी, उस भूमि में किसी भी अन्य व्यक्ति को काश्तकारी अधिकार प्राप्त नहीं होते है। मंदिर मूर्ति निरन्तर अव्यस्क व अन्य किसी व्यक्ति के माध्यम से जैसे पुजारी आदि के माध्यम से कार्य कर सकता है। इनके नाम से काश्त दर्ज होने पर काश्तकारी अधिकार प्राप्त नहीं होते है। ऐसे प्रकरणों में जिसमें मंदिर के पुजारियों के नाम भूमि दर्ज है, उनके निरस्तीकरण की कार्यवाही सक्षम न्यायालय में रैफरेन्स की कार्यवाही की जावे।"

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

"मंदिरों को माफी की भूमि जागीर के रूप में दी गई थी तथा राज0 भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम 1952 के प्रभावी होने पर जागीरों के पुर्नग्रहण के साथ–साथ ऐसी भूमियों का निस्तारण इस अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत किया गया जिसके अनुसार जो भूमि जागीरों के पुर्नग्रहण के समय किसी व्यक्ति के पास पट्टेदार या अन्य किसी नाम से दर्ज थी, उस भूमि को जागीर अधिग्रहण के समय उस व्यक्ति के नाम निरन्तर दर्ज करते हुए खातेदारी निरन्तर बनाये रखने के अधिकार प्रदान किये गये है। विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 13.12.1991 के अनुसरण में ऐसी भूमियों को वापिस मंदिर के नाम दर्ज किया जा रहा है, उचित नहीं है।"

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 10:57:58 IST
Reason: SelfAttested

"ऐसी भूमि के संबंध में जो माफी मंदिर की थी के संबंध में राजस्थान भूमि सुधार तथा जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम 1952 की धारा 9 में प्रावधान किया गया है। इस अधिनियम के प्रभावी होने के समय जो व्यक्ति राजस्व रिकार्ड में पट्टेदार, खादिमदार, या अन्य किसी नाम से दर्ज थे वे निरन्तर खातेदार बने रहेंगे। धारा 9 निम्न प्रकार है:–

जिला कलेक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

" जागीर भूमियों में खातेदारी अधिकार–जागीर भूमि के प्रत्येक काश्तकार को जो इस अधिनियम के प्रारंभ के समय राजस्व अभिलेखों में एक खातेदार, पट्टेदार, खादिमदार के रूप में या अन्य रूप में जिसमें यह अर्न्तनिहित हो कि काश्तकार को काश्तकारी में आनुवांशिक और पूर्ण अन्तरण के अधिकार प्राप्त है, दर्ज है, ऐसे अधिकार प्राप्त रहेंगे और वह ऐसी भूमि के संबंध में खातेदार काश्तकार कहलायेगा।"

11. हमने भूमि एकीकरण विभाग खतौनी एकीकरण (जमाबंदी) ग्राम मण्डावर तहसील महवा संवत 2000 की प्रविष्टियां का अवलोकन किया जो कि इस प्रकार है

नंबर शुमार	नंबर प चकबन्द	नाम थोक व पट्टी मय नाम पटेलान	नाम खातेदार मय वि कौमियत व सकूनत	खसरा नंबर	क्षेत्रफल	किस्म
223			माफी गिरवर वल्द भैरं कौम ब्राह्मण सा.देह	1045	1 बीघा 16 बिस्वा	बा.अव्वल

उपरोक्त एकीकरण जमाबंदी से यह सिद्ध होता है कि खाता सं0 223 में दर्ज भूमि में कृषक गिरवर वल्द भैरो कौम ब्राह्मण के नाम खातेदार के रूप में दर्ज है। हालांकि उक्त भूमि माफी के रूप की भूमि है किन्तु यह भूमि खुदकाश्त के रूप में दर्ज न होकर एकीकरण जमाबंदी ग्राम मंडावर तहसील महवा के संवत 2000 में खातेदार गिरवर वल्द भैरो कौम ब्राहमण के नाम दर्ज रही है। अतः इस संबंध में उपरोक्त परिपत्र के निम्न बिन्दू लागू होंगे:–

" मंदिरों को माफी की भूमि जागीर के रूप में दी गई थी तथा राज0 भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम 1952 के प्रभावी होने पर जागीरों के पुर्नग्रहण के साथ–साथ ऐसी भूमियों का निस्तारण इस अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत किया गया जिसके अनुसार जो भूमि जागीरों के पुर्नग्रहण के समय किसी व्यक्ति के पास पट्टेदार या अन्य किसी नाम से दर्ज थी, उस भूमि को जागीर अधिग्रहण के समय उस व्यक्ति के नाम निरन्तर दर्ज करते हुए खातेदारी निरन्तर बनाये रखने के अधिकार प्रदान किये गये है। विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 13.12.1991 के अनुसरण में ऐसी भूमियों को वापिस मंदिर के नाम दर्ज किया जा रहा है, उचित नहीं है। "

साथ ही प्रपत्र तहसील महवा जिला दौसा की प्रविष्ठियां अवलोकनीय है जो निम्न प्रकार है:–

कसं	मंदिर मूर्ति का नाम	संवत 2012 में मूर्ति के नाम दर्ज भूमि का विवरण		वर्तमान रिकार्ड में मूर्ति के नाम दर्ज भूमि का विवरण		संवत 2012 में मूर्ति के नाम दर्ज भूमि जो अब काश्तकारों के नाम दर्ज है का विवरण		
1	2	ख0नं0	बीघा/बिस्वा			काश्तकार का नाम	खसरा नंबर	रकबा
17	माफी मंदिर सर्प श्री वाके देह हाजा प्रबंधक पुजारी गिरवर वल्द भोंरीलाल कौम ब्राहमण	1045	1.16	–	–	प्रभूदयाल, नंदकिशोर पि. गिर्राज जाति ब्राहमण सा.देह	358	0.46

भूमि एकीकरण विभाग, राजस्थान का मिलान क्षेत्र[illegible] मंडावर तहसील महवा का विवरण अवलोकनीय है:–

ग्राम मंडावर [illegible] माधोपुर

वर्तमान		गत	
खसरा नंबर	क्षेत्रफल	खसरा नंबर	क्षेत्रफल
60	1 बीघा 16 बिस्वा	1045	1 बीघा 16 बिस्वा

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 10:57:58 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, दौसा

साथ ही भू प्रबंध विभाग का मिलान क्षेत्रफल इस प्रकार है:–

ग्राम मंडावर तहसील महवा जिला दौसा

वर्तमान		गत	
खसरा नंबर	क्षेत्रफल	खसरा नंबर	क्षेत्रफल
358	0.46है.	60	1 बीघा 16 बिस्वा

उपरोक्त विवेचन के आधार पर तहसीलदार महवा द्वारा प्रस्तुत प्रकरण रैफरेन्स योग्य नहीं पाया जाने से खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार महवा को भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भंडार हो।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 27 फरवरी, 2025 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया। इस निर्णय की अपील सक्षम न्यायालय में 30 दिवस के भीतर की जा सकेगी।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 10:57:58 IST
Reason: SelfAttested